न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 61/2018/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 5.7.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. बद्रीलाल आ0 भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सोरसन तह0 अंता जिला बांरा हाल निवासी ग्राम दासखेडा तहसील सांगोद जिला कोटा–राज0।
2. घींसी बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम सोरसन तहसील अंता जिला बांरा हाल निवासी ग्राम ओदपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड–राज0।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामकरण आ0 भैरूलाल जाति माली निवासी ग्राम सोरसन तह0 अंता जिला बांरा–राज0।
2. हेमराज आ0 भैरूलाल जाति माली निवासी ग्राम सोरसन तहसील अंता जिला बांरा–राज0।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बांरा (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक–अपीलार्थीगण

::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024.

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बांरा (न्याय आपके द्वार अभियान 2018 व राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत सोरसन) (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 08/2018 अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट उनवान रामकरण बनाम राज0 सरकार वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 14.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम–1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का प्रस्तुत कर ग्राम सोरसन की आराजी ख0नं0 806 रकबा 6 बिस्वा जिसके खातेदार बद्रीलाल व घीसीबाई दर्ज थे जिसके सेटलमेट बाद नये खसरा नम्बर 1089 की रकबा 0.26 है0 गै0 मु0 खलिहान दर्ज की गई जो गत रकबा से 0.20 है0 अधिक कायम किये जाने से दुरूस्त कर रकबा 0.20 है0 कम करके सिवायचक दर्ज किये जाने व तदानुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प सोरसन मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आराजी खसरा नम्बर 1089 की रकबा 0.26 है0 मे से रकबा 0.21 है0 खाता सरकार सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। धारा 136 एलआरएक्ट मे लिपिकीय त्रुटियों को भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिसका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे, परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जायेगी जब तक पक्षकारो को हैतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 कम 1 व 2 प्रकरण मे हितबद्ध

अति. स. आयुक्त
कोटा

पक्षकार नही होने तथा उन्हे कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने के बावजूद भी अपीलांट को हैतुक दर्शित करने का नोटिस दिये बिना ही अपीलांट की खातेदारी की आराजी मे से रकबा कम करने का जेरअपील आदेश पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल व राज्य सरकार के दिशा निर्देशो तथा लोक अदालत की भावना के विपरीत मनमर्जी पूर्वक आर्डर शीट पर सीपीसी के प्रावधानो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन प्रकरण को लोकअदालत मे रख कर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही रही। रकबा कमी बेशी व नक्या दुरूस्ती अथवा गणितीय त्रुटि नियमित वाद मे ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की बिना दिनांकित एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा वर्णित आराजी के संबध मे अपीलांट के विरूद्ध एक नियमित वाद सिविल न्यायालय अंता के यहां पेश किया गया था जो दिनांक 12.3.2015 को खारिज किया गया तथा उसकी अपील ए0डीजे0 नं0 1 बारा मे पेश की गई जो भी दिनांक 23.4.2018 को खारिज करदी गई। रेस्पो0 ने उक्त तथ्यों को छुपाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस प्रकार रेस्पो0 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से प्रार्थना पत्र लेकर नही आया तथा तथ्यों को मेन्यूप्लेशन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जेर अपील आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलांट कमशः दासखेडा तह0 सांगोद व ओदपुर तह0 खानपुर मे निवासरत है। दिनांक 12.6.2018 को अपने ग्राम सोरसन आने पर उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने पर आदेश की नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर दिनांक 23.8.2018 को उनकी तामील पूर्ण मानी गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषाक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील निर्णय लोक अदालत की भावनाओं तथा राज्य सरकार व मण्डल द्वारा जारी निर्देशो के विपरीत जाकर अपीलोंट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली को केम्प सोरसन मे रख कर उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो विधि मे निहित प्रावधानो एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल खारिज है। जेरअपील निर्णय धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा वर्णित आराजी के संबध मे अपीलांट के विरूद्ध एक नियमित वाद सिविल न्यायालय अंता के यहां पेश किया गया था जो दिनांक 12.3.2015 को खारिज किया गया तथा उसकी अपील ए0डीजे0 नं0 1 बारा मे पेश की गई जो भी दिनांक 23.4.2018 को खारिज करदी गई। रेस्पो0 ने उक्त तथ्यों को छुपाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका उसको कोई लोकस स्टेण्डाई नही था अपीलांट ने स्वच्छ हाथो से अधीनस्थ के समक्ष धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। अपीलांट द्वारा चाही गई रिलीफ नियमित वाद मे दी जा सकती है। धारा 136 एलआरएक्ट मे पक्षकारो की आपसी सहमति से इन्द्राज दुरूस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4 रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपसिथत नही होने पर दिनांक 23.8.1918 को रेस्पो0 की तामील पूर्ण मानी गई।

5 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 बावजूद सूचना के प्रकरण मे उपस्थित नही हुये है। डिले कन्डोन हेतु प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 5 अधिनियम एंव अपीलांट द्वारा इस संबध मे मे प्रस्तुत शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई न्यायोचित आधार नही है । अतः न्यायहित मे विलम्ब अवधि सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। रेस्पो0 ने बावजूद सूचना के हस्तगत अपील प्रकरण मे उपस्थित नही हुये है ना ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत केम्प सोरसन मे

अति. सं. आयुक्त

खातेदार भैरूलाल, घीसीबाई पुत्री भेरूलाल जाति मीणा के खाते मे वर्तमान ख0 नं0 1089 रकबा 0.26 मे से रकबा 0.05 है0 दर्ज खाते किये जाने तथा शेष 1089 रकबा 0.21 है0 खाता सरकार सिवायचक दर्ज किये जाने का जेरअपील निर्णय दिनांक 14.2018 पारित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि जेरअपील निर्णय लोक अदालत की भावनाओं तथा राज्य सरकार व मण्डल द्वारा जारी निर्देशो के विपरीत जाकर अपीलोंट को सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व लोकअदालत केम्प सोरसन मे उसी दिन पारित कर दिया जो विधि मे निहित प्रावधानो एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एंव धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा वर्णित आराजी के संबध मे अपीलांट के विरूद्ध एक नियमित वाद सिविल न्यायालय अंता के यहां पेश किया गया था जो दिनांक 12.3. 2015 को खारिज किया गया तथा उसकी अपील ए0डीजे0 नं0 1 बारा मे पेश की गई जो भी दिनांक 23.4. 2018 को खारिज करदी गई। रेस्पो0 ने उक्त तथ्यों को छुपाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका उसको कोई लोकस स्टेण्डाई नही था अपीलांट ने स्वच्छ हाथो से अधीनस्थ के समक्ष धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश नही किया। धारा 136 एलआरएक्ट मे पक्षकारो की आपसी सहमति से इन्द्राज दुरूस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

7 अपीलांट के उपरोक्त कथन के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी अंता द्वारा जेरअपील आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प सोरसन मे अपीलांट को विधिवत सुनवाई नोटिस जारी किये बिना तथा जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। यहा यह तथ्य भी विवेचनीय है कि धारा 136 एलआरएक्ट मे विहित प्रावधान अनुसार "लिपिकीय त्रुटियों को भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिसका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे, परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जायेगी जब तक पक्षकारो को हैतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो"। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलांट को सुनवाई व जवाब देही का अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य जेरअपील निार्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय मे उक्त तथ्यों का स्पष्ट अभाव रहा है। उपखण्ड अधिकारी अन्ता का जेरअपील निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एंव धारा 136 एलआरएक्ट मे विहित प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अपीलांट को विधिवत सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। परिणमस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बांरा द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 14.5.2018 अपास्त किया किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्राकरण मे उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 22.5..2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा